रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-17102024-258002
CG-TN-E-17102024-258002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946
No. 799] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

इंडियन बैंक

(मानव संसाधन विभाग)

अधिसूचना

चेन्नै, 5 अक्तूबर, 2024

फा. सं. पेंशन/01/2024 (ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधन कर एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम औरप्रा रंभ - (1) ये विनियम इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहलाएंगे।

(2)इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित), विनियम 2, नोट के स्थान पर, निम्नलिखित नोट को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''बशर्ते कि 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी विशेष भत्ते को बाहर रखा जाएगा''

बशर्ते कि कोई कर्मचारी जो 1 नवंबर, 2017 को बैंक की सेवाओं में था और जिसकी स्थिर वेतन वृद्धि को उनके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने की तारीख से संशोधित आवधिकता के अनुसार पुनः समायोजित किया गया है, पेंशन के प्रयोजनों के लिए 1 नवंबर, 2017 से ऐसी संशोधित स्थिर वेतन वृद्धि के लिए काल्पनिक रूप से पात्र होगा, लेकिन ऐसे पुनः

समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तारीख, जो भी बाद में हो, से देय होगा।"

3. उक्त विनियमनों के विनियमन 22 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:

"बशर्ते कि किसी कर्मचारी को, जो बैंक की सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक काम पर या वेतनमान पर स्थायी आधार पर अंशकालिक काम पर कार्यरत है, हटाने (Removal) पर उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त नहीं होगी और वह पेंशन संबंधी लाभों के लिए पात्र होगा।"

4. उक्त विनियमनों के विनियम 36 में, खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित कियाजाएगा, अर्थात्: -

"(जी) एक कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर,जोकि 1 नवंबर, 2017 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ हो, उसे तीन हजार नौ सौ पचासी रुपये प्रति माह;जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ हो, वहाँ 1/3 वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति माह, ½ वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में दो हजार रुपये प्रति माह, और ¾ वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में तीन हजार रुपये प्रति माह।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 40 में,-

(ए) उप-विनियम (1) में, -

(i) खंड (बी) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते जब पात्र पुत्र या पुत्री, सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार, आदि से प्रति माह बारह हजार रुपये से अधिक की राशि अर्जित करने लगता हैं, तो पुत्र या पुत्री (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी या देय नहीं होगी";

(ii) खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(सी) माता-पिता की स्थिति में, यदि माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार, आदि से प्रति माह बारह हजार रुपये से अधिक हो जाती है, तो कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी या देय नहीं होगी।";

(बी) उप-विनियम (4) में,-

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vii) नवंबर 2017के प्रथम दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या मृत कर्मचारियों के संबंध में, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिए, प्रति माह छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये"; बशर्ते, 1 अप्रैल, 2021 के प्रथम दिवस को और सेउप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और कर्मचारियों की उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियमन 39 के उप-विनियमन (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।"

(ii)खंड (बी) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vii) नवंबर 2017के प्रथम दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या मृत कर्मचारियों के संबंध में, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिए,प्रति माह छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये";

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 के प्रथम दिवस को और से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि विनियमन 39 के उप-विनियम (1) या उक्त विनियमन के उप-विनियम (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी, जैसा भी मामला हो।"

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (vi)के बाद, निम्नलिखित उप-खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vii) नवंबर, 2017के प्रथम दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत हुए या मृत कर्मचारियों के संबंध में, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिए, प्रतिमाह तेरह हजार दो सौ अस्सी रुपए"।

बशर्तेकि 1 अप्रैल, 2021 के प्रथम दिवस को और से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और सभी उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियमन 39 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

6. उक्तविनियमों के परिशिष्ट-II में, परिशिष्ट-II का खंड (4) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा मामला हो। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते,1 मई, 2005 को या इस तिथि से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद किन्तु 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, इस खंड के अनुसार महंगाई राहत देय होगी:

बशर्ते, 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी:

बशर्ते यह भी कि 1 नवम्बर, 2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 4440 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा मामला हो। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते यह भी कि 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 6352 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।”

7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट III में, खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(जी) 1 नवंबर 2017के प्रथमदिवस को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में:

वेतनमान प्रति माह	**मासिक कुटुंब पेंशन की राशि**
(1)	(2)
15,880 रुपये तक	‘वेतन’ का 30 प्रतिशतमूलकुटुंब पेंशन तथा(+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। बशर्ते मूल तथा अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योगन्यूनतम रु. 3985/- प्रतिमाह के अधीन होंगे।
रु.15,881 से रु.31,760	‘वेतन’ का 20 प्रतिशतमूलकुटुंब पेंशन तथा(+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। बशर्ते मूल तथा अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योगन्यूनतम रु. 4900/- प्रतिमाह के अधीन होंगे।
31,760 रुपये से अधिक	‘वेतन’ का 15 प्रतिशतमूलकुटुंब पेंशन तथा(+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। बशर्ते मूल तथा अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योगन्यूनतम रु.6365/- प्रतिमाह तथा अधिकतम रु.13280/- प्रतिमाह के अधीन होंगे।

(एच) 1 अप्रैल, 2021 से खंड (ए) से (जी) प्रभावी नहीं रहेंगे और उक्त खंडों में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में, ‘वेतन’ का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगा और भत्ते का 30 प्रतिशत जो भविष्य निधि में योगदान करने के लिए गिने जाते हैं, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से दिए गए उक्त विनियम,संयुक्त नोटों और निपटान के लिए सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार,इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर के कामगार संघों तथाअधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गणेशरामन ए, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./568/2024-25]

नोट: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या एसआरसी/पेंशन/223, दिनांकित 29 सितंबर, 1995 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अधिसूचना संख्या पेन/01/2023, दिनांकित06अक्तूबर, 2023के माध्यम से अंतिम रूप से संशोधित किया गया था।

INDIAN BANK

(Human Resources Department)

NOTIFICATION

Chennai, the 5th October, 2024

F. No. Pen/01/2024 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Indian Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bank(Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely: —

"Provided further that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:

Provided also that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments has been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later.".

3. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits.".

4. In regulation 36 of the said regulations, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: —

"(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing ½ scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017.".

5. In regulation 40 of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (1), —

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self–employment:";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self–employment, exceeds rupees twelve thousand per month;";

(b) in sub-regulation (4),—

(i) in clause (a), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

"(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clauses (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.";

(ii) in clause (b),after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

"(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub regulation (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.";

(iii) in clause (c), after sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely: —

"(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.".

6. In Appendix-II to the said regulations, the clause (4) in the Appendix-II shall be substituted, namely:-

"(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100.Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension.".

7. In Appendix III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

Scale of pay per month	**Amount of monthly family pension**
(1)	**(2)**
Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowance, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs.31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month.

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent. of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.".

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

GANESARAMAN A, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./568/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India,Part III, Section 4 *vide* notification number SRC/Pension/223, dated the 29th September,1995 and lastly amended*vide* notification number Pen/01/2023, dated the 6th October, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA